

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 77 / 2016

दायरा दिनांक : 10.02.2016

उनवान

रामचरण आयु 45 वर्ष, पुत्र श्री बलराम, जाति कुम्हार, निवासी फतेहपुर, तहसील बारां, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री ओ० पी० मेहता

अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 03.04.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 06.07.2015 प्रकरण संख्या 454 / 2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय नायब तहसीलदार बारां के प्रकरण सं० 686 / 2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2014 से अपीलांट को ग्राम फतेहपुर, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.20 हैक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 80 / - रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल फतेहपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2016 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम फतेहपुर के खसरा नम्बर 1747 के रकबे 0.20 हेक्टर भूमि पर प्रार्थी रामचरण पुत्र बलराम, जाति कुम्हार उक्त आराजी पर काश्त नहीं करता है । वर्तमान में फसल खड़ी हुई नहीं है । अपीलांट का वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा अतिक्रमी पर कोई राशि बकाया नहीं है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 अपास्त किया जाता है लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा